न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 06/2024
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/42

प्रार्थी :–

राज्य सरकार, जरिये प्रवर्तन निरीक्षक,
द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री कालुराम/ लालु उचित मूल्य
दुकानदार, ग्राम पंचायत नल्दा, भाग प्रथम,
तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा

उपस्थित – प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952

दिनांक :– 23–10–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्री कालूराम/ लालु उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत नल्दा भाग प्रथम तहसील आंबापुरा की जाँच दिनांक 16.01.2019 को तात्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक बांसवाडा द्वारा की गई। वक्त मौका जांच के दौरान भौतिक सत्यापन किये जाने पर गौदाम में 240.18 क्विं. गेहूँ वितरण/ हस्तांतरण नही कर खाद्यान्न खुर्द बुर्द किया जाना पाया गया। प्रकरण की विस्तृत जांच करने पर दुकान/ गोदाम के भौतिक सत्यापन मुताबिक पोस मशिन अनुसार नल्दा भाग प्रथम के पास 285.16 क्विं. गेहूँ स्टॉक मे शेष था। अप्रार्थी डीलर को अवशेष गेहूँ का हस्तान्तरण अस्थायी वितरण हेतु अधिकृत डीलर को करना चाहिये था। परन्तु अप्रार्थी डीलर द्वारा 45 क्विं गेहूँ का ही हस्तान्तरण किया गया व 240.16 क्विं गेहूँ का गबन/ दुरुपयोग किया गया। डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की जारी शर्त संख्या 2, 5, 9, 11, 16, 17सी व 18 का उल्लंघन किया। अप्रार्थी डीलर के विरुद्ध विभागीय [illegible] किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 935/1997 को निलम्बित किया [illegible] जाकर निर्णय दिनांक 16.03.2020 द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (सं. 0244 दिनांक 17.10.2019) पुलिस थाना कुशलगढ मे दर्ज करवाई गई। इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:36:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)

अप्रार्थी डीलर ने ग्राम पंचायत नल्दा भाग प्रथम पोस कोड 6194 का कुल 240.16 क्विं गेहूँ का गबन किया गया। उक्त 240.16 क्विं. गेहूँ की कीमत 27 रु. प्रति किग्रा. की दर से 6,48,432/– रु. बनती है। उक्त गेहूँ की कुल राशि 6,48,432/– रुपया श्री कालूराम/ लालु उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत नल्दा भाग प्रथम तहसील आंबापुरा से वसूली किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाकीदार को नोटिस दिनांक 12.07.2024 को नोटिस मय धारा 4 जनमांग अधिनियम 1952 के तहत प्रमाण पत्र जारी कर रुपया 6,48,432/– वसूली का जारी किया गया। अप्रार्थी का नोटिस बाद तामील पेश हुआ। अप्रार्थी पेशी दिनांक 07.08.2024, 28.08.2024, 11.09.2024 को अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। नोटिस बाद तामील प्रस्तुत हाने व पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 11.09.2024 को अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 23–10–2024 को विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी डीलर ने ग्राम पंचायत नल्दा भाग प्रथम पोस कोड 6194 का कुल 240.16 क्विं गेहूँ का गबन किया गया। उक्त 240.16 क्विं. गेहूँ की कीमत 27 रु. प्रति किग्रा. की दर से 6,48,432/– रु. बनती है। उक्त गेहूँ की कुल राशि 6,48,432/– रुपया श्री कालूराम/ लालु उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत नल्दा भाग प्रथम तहसील आंबापुरा से वसूली किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि श्री कालूराम/ लालु उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत नल्दा भाग प्रथम तहसील आंबापुरा की जाँच दिनांक 16.01.2019 को तात्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक बांसवाडा द्वारा की गई। प्रकरण की विस्तृत जांच करने पर दुकान/ गोदाम के भौतिक सत्यापन मुताबिक पोस मशिन अनुसार नल्दा भाग प्रथम के पास 285.16 क्विं. गेहूँ स्टॉक मे शेष था। अप्रार्थी डीलर द्वारा [illegible]5 क्विं. गेहूँ का ही हस्तान्तरण किया गया इस प्रकार अप्राथी डीलर द्वारा 240.16 क्विं गेहूँ का [illegible] / [illegible] किया जाना पाया गया है। जिससे राजकीय हानि होना पाया जाता है। उक्त 240.16 क्विं. गेहूँ की राशि विभाग अनुसार 6,48,432/– रु. बनती है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:36:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

उसकी वसूली हेतु राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत मांग कायम कर वसूल किया जाना उचित पाता हुं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी श्री कालूराम/ लालु उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत नल्दा भाग प्रथम तहसील आंबापुरा से राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत 240.16 क्विं. गेहूँ की राशि रु. 6,48,432/– अक्षरे रुपया छः लाख अडतालिस हजार चार सौ बत्तीस की वसूली के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति जिला राजस्व लेखाकार को नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23–10–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:36:09 IST
Reason: SelfAttested